भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 995112

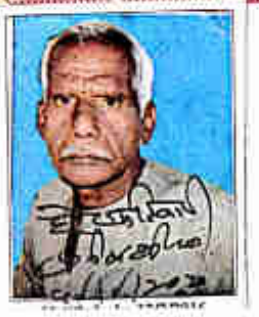

न्यास पत्र

हमकि अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व0 नन्द किशोर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–भरहे चौरा, तहसील–सलेमपुर, जिला–देवरिया (उ0 प्र0) का हूं। हम जनहित के कार्यो को सम्पादित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो तथा समाज के साधनविहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास की व्यवस्था होने के साथ ही साथ शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरुप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। जनहित में उक्त प्रकार के कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान कर विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। जनहित के उक्त प्रकार के कार्यो के संचालन तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10000/–(दस हजार) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था मैं करता रहूँगा। हम अपने द्वारा स्थापित न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत निम्नवत एक

Scanned with CamScanner

आशीष कुमार सिंह S/o नन्दकिशोर सिंह ग्रा० + पो० भरटेचौरा, भरौली)
देवरिया

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 995113

न्यासपत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं–

1. यहकि हमारे द्वारा स्थापित ट्रस्ट/न्यास का नाम **"सिद्धेश्वर समाज सेवा ट्रस्ट"** होगा, जिसे इस न्यासपत्र में आगे **"न्यास"** या **"ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यहकि हमारे द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **ग्राम व पोस्ट–भरहे चौरा, तहसील–सलेमपुर, जिला–देवरिया (उ० प्र०)** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत आवश्यकतानुसार अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और आवश्यकतानुसार उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट के द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता होने पर भारत के बाहर भी नियमानुसार ट्रस्ट के कार्यो का संचालन किया जा सकेगा।

3. यहकि हम उक्त ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हमारे द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित किया जा रहा है। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हमारे द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:–

   1. श्रीमती निशा सिंह पत्नी श्री अजीत कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–भरहे चौरा, जिला–देवरिया।
   2. श्रीमती अन्नू सिंह पत्नी श्री रणविजय किशोर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–भरहे चौरा, जिला–देवरिया।

Scanned with CamScanner

अर्पीत कुमार सिंह S/o नन्दकिशोर सिंह ग्रा०+पो० भरटेपौरा
भटनी, देवरिया

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 995114

3. श्री जय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री नत्थू लाल मिश्र निवासी ग्राम–बेहरा डाबर (पण्डितपुरा), पोस्ट–भटनी, जिला–देवरिया।
4. श्री अभय राय पुत्र स्व0 श्रीनाथ राय निवासी मुहल्ला–उमानगर, वार्ड नं0 15, शहर व जिला–देवरिया।
5. श्री कुलदीप राय पुत्र स्व0 रामप्रवेश राय निवासी फ्लैट नं0 202, सी–विंग, होरीजोन हाईट, जी0 बी0 रोड, कासरवडवली, ठाणे (महाराष्ट्र)।
6. श्री अजय राय पुत्र स्व0 योगेन्द्र राय निवासी ग्राम व पोस्ट–खोरीबारी, जिला–देवरिया।

4. यहकि हमारे द्वारा **"सिद्धेश्वर समाज सेवा ट्रस्ट"** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन से सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न कर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थागत रूप से आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था कर उनके सामाजिक उन्नयन हेतु शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण सुरक्षा एवं समाजसेवा के कार्यों को सम्पन्न करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और जनसामान्य को शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाते हुए प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कर नर्सरी, प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल, एवं यू0पी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0) से अनुमन्य प्राईमरी से लगायत हायर सेकेन्ड्री (10+2) स्तर के विद्यालयों के साथ ही साथ स्नातक, स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय की स्थापना कर उनका संचालन करना।

Scanned with CamScanner

स्टाम्प विक्रेता दिनेश कुमार पाण्डेय

लाइसेन्स की अवधि

सलेमपुर, देवरिया

भाष्यीत कुमार सिंह S/o नन्दकिशोर सिंह ग्रा० + पो० भरहेचौरा भटनी, देवरिया

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 995115

4. देश के किसी क्षेत्र में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक की सामान्य शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, गैर तकनीकी शिक्षा, इन्जीनियरिंग एवं डिप्लोमा तथा विधि शिक्षा हेतु पालिटेक्निक, महाविद्यालय एवं शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित व संचालित करना।
5. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये टेक्निकल कालेज, पालिटेक्निक व आई0टी0आई0 संस्थान की स्थापना कर अनुमन्य ट्रेड में शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीनिंग, पेन्टिग, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, कुकिंग/बेकरी, मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण, फीटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो व टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, मोटर वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय, एयर कन्डीशनर रिपेयरिंग, राजगीर मिस्त्री, सरिया फीटर, सटरिंग कारपेन्टर, फर्नीचर कारपेन्टर, प्लम्बर, वेल्डिंग, गैसकटर, ग्राइन्डर, इन्सूलेसन, रोपटी आफिसर, मोटर एवं क्रेन आपरेटर, डेन्टिंग, पेन्टिंग, फेब्रीकेटर, मशीन आपरेशन का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के योग्य बनाना और उनके लिये प्रशिक्षण/अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि की व्यवस्था करना।
6. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
7. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज व संग्रहालय को स्थापित करना तथा पुरातन धरोहरों को संरक्षित करने के उद्देश्य से आव यक कार्यो को करना और इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था के लिए होटल–मोटल का संचालन करना। इस सम्बन्ध में शैक्षणिक व धार्मिक यात्राओं/टूर पार्टियों का आयोजन एवं संचालन करना।
8. सनातन धर्म तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के मूल्यों की वैज्ञानिक अवधारणा से विश्व को परिचित करना और इस हेतु मन्दिर व सत्संग स्थलों का निर्माण कराना।
9. धार्मिक व अन्य सामाजिक हित के कार्य हेतु निर्माण व मरम्मत कराना और इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।

Scanned with CamScanner

1932

अजीत कुमार सिंह s/o नन्द किशोर सिंह सा०+पो-भरहेचौरा
भटनी, देवरिया

...237

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 995116

10. मानव की मानसिक कुण्ठा एवं शारीरिक दुर्बलता को दूर कर सौहार्द्र स्थापित करना और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं (अन्न, वस्त्र, आवास, औषधि और शिक्षा) से वंचित मनुष्यों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्य सम्पन्न करना।
11. उपेक्षित और अपमानित माताओं–पिताओं के लिये श्रवण धाम की स्थापना करना, जिससे वे अपनी शेष जीवन यात्रा प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण कर सकें।
12. साधु–सन्तों के वाणियों को जनहित में प्रचार–प्रसार करने के लिए आवश्यक कार्य कर इस हेतु आवश्यक धन व संसाधन की व्यवस्था करना तथा धार्मिक व अन्य सामाजिक हित के कार्य हेतु निर्माण व मरम्मत कराना।
13. भगवान एवं सन्तो के पावनस्थली की साफ–सफाई एवं उसकी पूजा अर्चना के लिए पूजा–पाठ व आरती की समुचित व्यवस्था करना तथा उसमें सहयोगी कार्यो को करना।
14. धर्मशालाओं, गौशालाओं एवं अनाथालयों आदि स्थापित कर उसकी व्यवस्था करना।
15. जनसंख्या बृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण प्रशिक्षण तथा परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
16. कैन्सर, एड्स, टी0बी0, कुष्ठ, मलेरिया, पोलियो, इन्सेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस, कोरोना (कोविड–19) जैसे रोगों तथा अन्य महामारी की रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों एवं ब्लड बैंक, ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, चिकित्सालय, नर्सिंग होम व पालीक्लीनिक की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले गरीब व्यक्तियों व उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्य सम्पन्न करना तथा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना।

Scanned with CamScanner

अर्पित कुमार सिंह S/o नन्दकिशोर सिंह सा०+पो० भरहेचौरा
भटनी, देवरिया

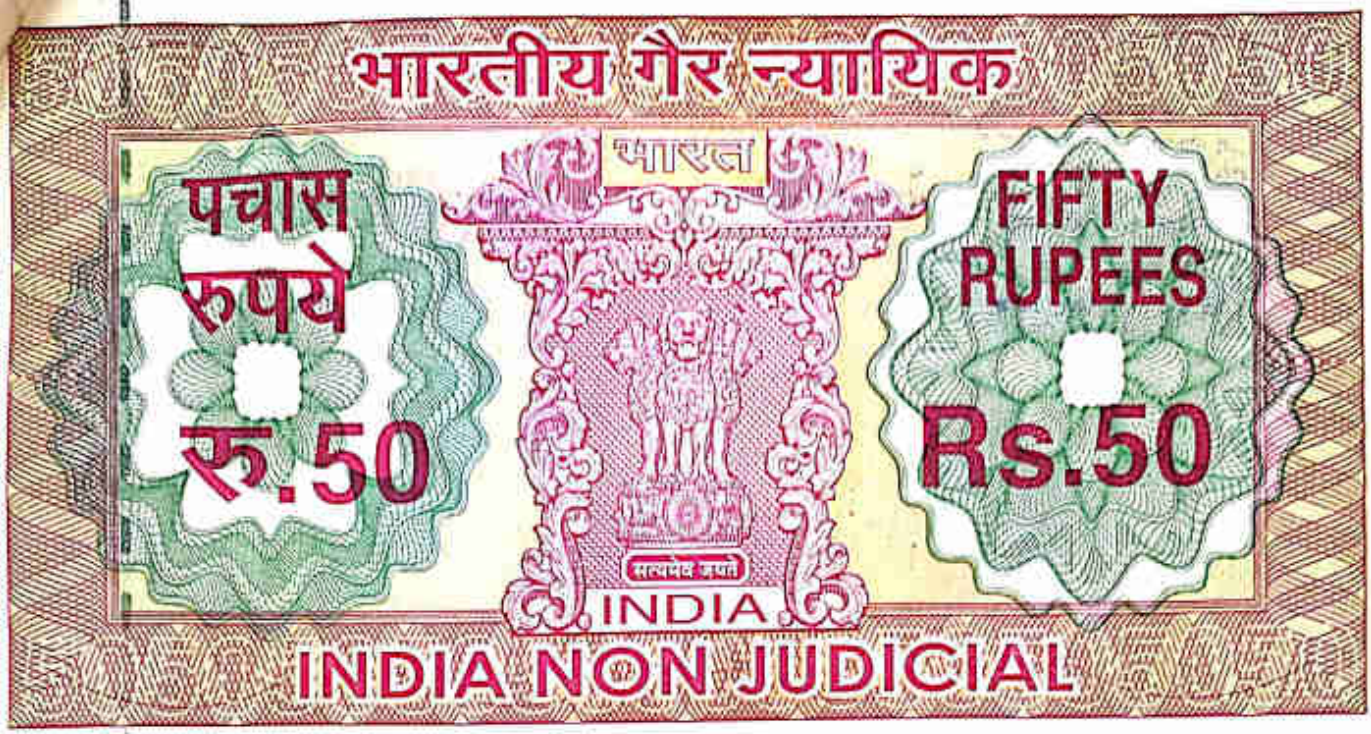

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 995117

18. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करना और स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को रोगमुक्त करना। टीकाकरण तथा नेत्र–ज्योति शिविर का आयोजन करना और चिकित्सालयों का निर्माण कर चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य संचालित करना।
19. गरीब बच्चों को केन्द्र या राज्य से सहायता प्राप्त होने पर कापी, किताब, स्कूल बैग व स्कूल ड्रेस एवं कम्बल का वितरण करना।
20. शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने से सम्बन्धित संसाधनों की व्यवस्था के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना व संचालन में सहयोग प्रदान कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना और औद्योगिक कारखाना स्थापित कर प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, मार्केटिंग से सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करना।
21. खाद्य प्रसंस्करण तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना। इस हेतु मसाला, आटा व अन्य घरेलू उपयोग की सामग्रियों के उत्पादन हेतु लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना।
22. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब, निराश्रित, अनाथ बच्चों, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगो को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना तथा इस हेतु विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था करना।
23. विकलांगो के विकास एवं उनके पुर्नवास की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करना और महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
24. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए परामर्श केन्द्र, धर्मशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

Scanned with CamScanner

3/2/2020

1093

अजीत कुमार सिंह S/o नन्दकिशोर सिंह सा० व पो० भरहेचौरा, देवरिया

...लाइसेंस नं० ...
... देवरिया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 995118

25. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था तथा जमीन जायदाद व रियल स्टेट का भी कार्य करना।
26. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले मेडिसिनल प्लान्ट व आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना और वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति के लिए आवश्यक कार्य सम्पन्न करना।
27. नदी, नाले को स्वच्छ बनाने तथा औद्योगिक कचड़े के समुचित निस्तारण के लिए डिजास्टर मैनेजमेन्ट से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करना।
28. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन एवं सुअर पालन की व्यवस्था कराना। इस हेतु चारागाह के साथ ही साथ अवारा पशुओं के लिए पशु आश्रय स्थल/पशुवाड़ा की व्यवस्था करना।
29. पशुओं के लिए पशु आहार तथा मुर्गीदाना तैयार करने से सम्बन्धित मशीनों की व्यवस्था कर डेयरियों एवं मुर्गीवाड़ों के साथ ही साथ अन्य पशुशालाओं को उच्चकोटि का पशु आहार तथा दाना उपलब्ध कराना।
30. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कराना तथा कृषि से सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हे प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।
31. विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधायुक्त प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना।
32. यूनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करना तथा कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करना।

Scanned with CamScanner

अजीत कुमार सिंह s/o नन्दकिशोर सिंह ग्रा०+पो० भरहेचौरा
भटनी देवरिया

Scanned with CamScanner

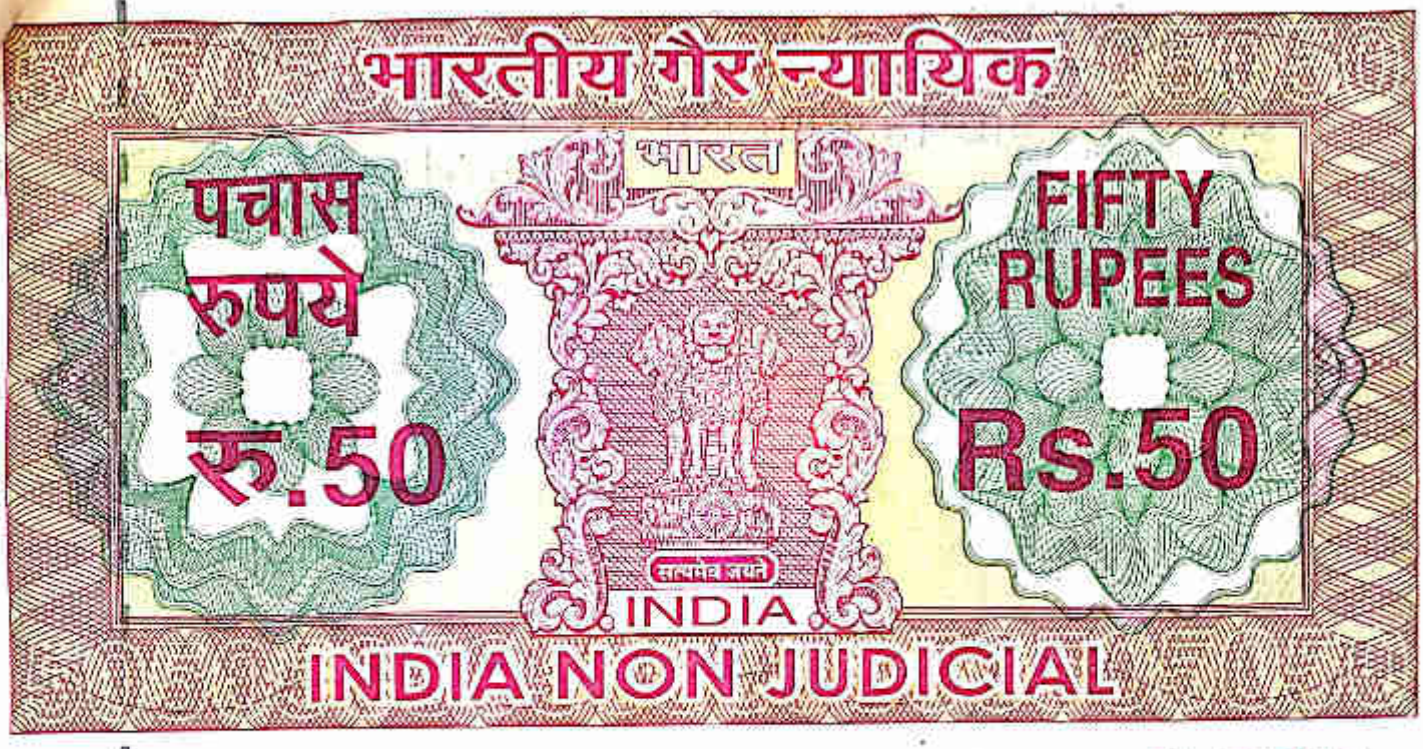

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 995119

33. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना और विभिन्न त्यौहारों और समारोहों पर होने वाले भोजन, अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु प्रयास करना। इसके अलावा भूखे व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए लंगर का संचालन करना।
34. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे–योग, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी, फुटबाल, शतरंज, कैरम, खो खो, हैण्डबाल, बैडमिंटन तथा अन्य ग्रामीण व शहरी खेलों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रशिक्षण/प्रतियोगिता कराना।
35. पंचायती राज, उपभोक्ता संरक्षण एवं मोटर वाहन अधिनियम व पारिवारिक विधि के बारे में जानकारी एवं जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की व्यवस्था करना।
36. ट्रस्ट के कार्यो के सुचारू संचालन तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मिडिया, मास मिडिया के साथ ही साथ अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करना तथा अखबार एवं पत्रिका का भी प्रकाशन करना।
37. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित कर अन्य सरकारी या गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0 जी0 ओ0, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देकर उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना तथा सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।
38. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य–**

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति तथा इसके विभिन्न ईकाइयों के सुचारू व्यवस्था हेतु संस्थाओं की स्थापना कर इसके समितियों व उपसमितियों का गठन करना।

Scanned with CamScanner

अजीत कुमार सिंह S/o नन्दकिशोर सिंह सा०+पो०
भटनी, भरहेचोरा, देवरिया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 995120

3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक होने पर सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना तथा आवश्यकतानुसार साधारण सभा का गठन करना।
5. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
7. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
9. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर–सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना। इस सम्बन्ध में आवश्यक होने पर ट्रस्ट के सम्पत्तियों को बंधक इत्यादि रखने से सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करना और

9

Scanned with CamScanner

31/12/2021 — 10236

...ने का तिथि 31/12/2021........

...प क्रय करने का प्रयोजन........ " "

...म्प विक्रेता का नाम व पूरा पता

...ता के हस्ताक्षर........ अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व० नन्द किशोर सिंह

ग्राम+पो० - भाटे-चौरा, भटनी, देवरिया

...म्प विक्रेता ... कुमार यादव

लाइसेंस-237

लाइसेंस की अवधि

... हित कलेक्ट्रेट परिसर, देवरिया

Scanned with CamScanner

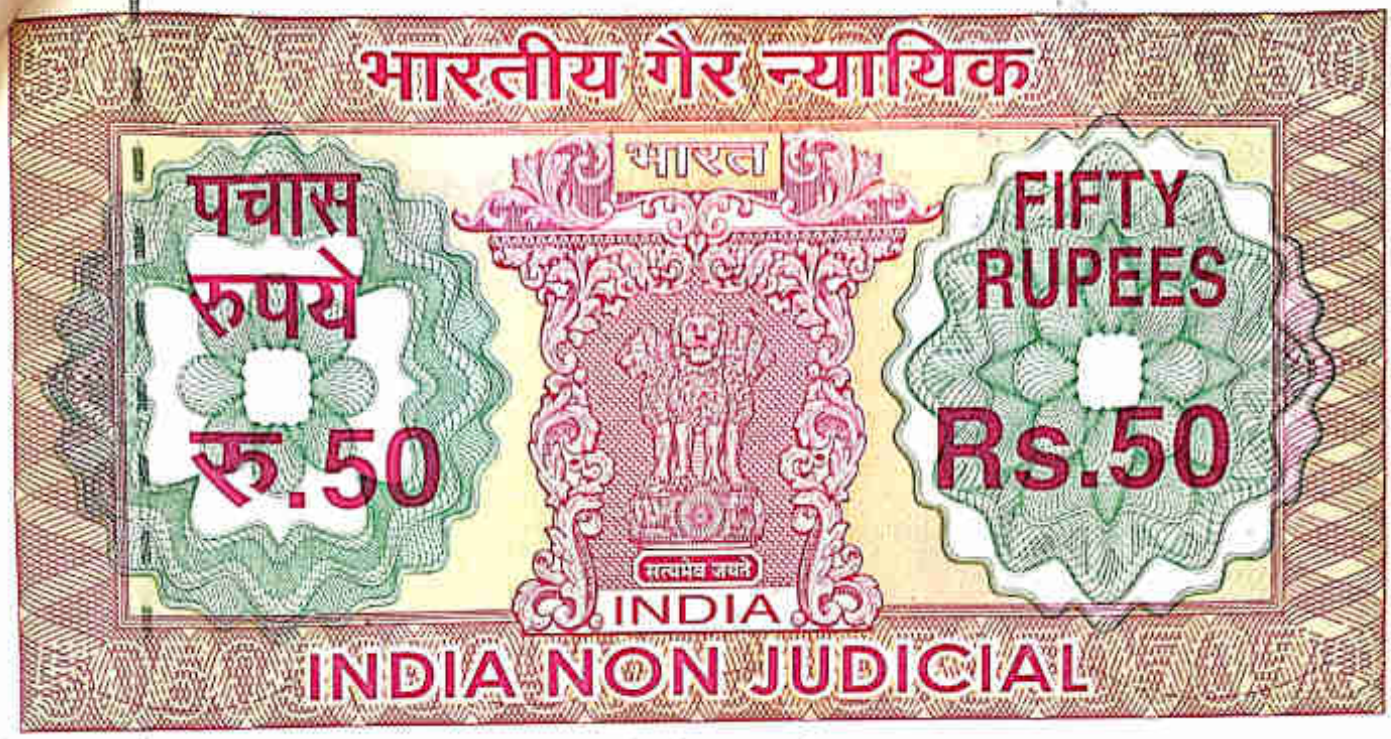

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 995121

इस हेतु दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी सहित अन्य ट्रस्टी को अधिकृत करना।

11. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्टमण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।
12. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा–12 ए के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी.जी. के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
13. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर–तकनीकी विद्यालयों एवं इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) <u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–</u>

<u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–</u>

1. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के रूप में चयनित किया जा सकेगा और इस प्रकार चयनित किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार भी मुख्य ट्रस्टी के द्वारा निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।
2. ट्रस्ट की स्थापना के समय ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी एवं प्रबन्धक व अध्यक्ष हम मुकिर होगें और मुख्यट्रस्टी अपने जीवनकाल में अगले मुख्यट्रस्टी को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे। हम मुकिर मुख्य ट्रस्टी के न रहने पर ट्रस्टी श्रीमती निशा सिंह ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी होंगी। हम मुकिर द्वारा नामित मुख्य ट्रस्टी के न रहने पर हम मुकिर

Scanned with CamScanner

[illegible] 30 [illegible] 21
[illegible] के [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व0 नन्द किशोर सिंह
[illegible] कुमार यादव ग्राम+पो0- भटहे चौरा, भटनी, देवरिया
लाइसेंस नं0-257
[illegible]
[illegible] सलेमपुर, देवरिया
[illegible]

Scanned with CamScanner

BY 995122

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से ही योग्य एवं ट्रस्ट के लिए हितैषी को तत्कालीन ट्रस्टमण्डल के द्वारा ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित किया जायेगा।

3. ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एवं उसके कोष के सम्यक रखरखाव के लिए ट्रस्टी श्रीमती निशा सिंह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होंगी।
4. मुख्यट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी ही मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होने पर ट्रस्ट मण्डल में हुई रिक्त स्थान की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य के द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं हितों के विपरीत कार्य अथवा आचरण करने की दशा में मुख्य ट्रस्टी के द्वारा उन्हें ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल से अलग किये गये ट्रस्टी को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और न तो उनके द्वारा किये गये प्रतिवाद या दावे की कोई पोषणीयता ही होगी।
6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था अथवा इन्स्टीच्यूट की सम्बद्धता प्रदान करने वाली नियामक संस्था या विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के प्रावधानो के क्रम में उसकी प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।
7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

11

Scanned with CamScanner

... का तिथि ...
... स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...
स्टाम्प लेने वाले का नाम व पूरा पता
स्टाम्प का मूल्य ...
स्टाम्प विक्रेता ... कुमार यादव
लाइसेंस-351

अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व० नन्द किशोर सिंह
ग्राम+पो० - अहि-चौरा! भटनी देवरिया

Scanned with CamScanner

BY 995123

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों व बाउचरों को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 7 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी।
2. वर्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक एवं अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना। ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देना।
2. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।
3. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
4. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
5. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
6. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित कर उसकी सूचना ट्रस्टीगण को देना।
7. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

Scanned with CamScanner

अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व० नन्द किशोर सिंह

ग्राम+पो० - गढ़-पौरा, भटनी, देवरिया

BY 995124

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिर्पोट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
9. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
10. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व पैरोकार नियुक्त करना।
11. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के समस्त कार्यो को करना।
12. ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।

8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियाँ निहित होंगी। ट्रस्ट के नाम बैंक में खाता मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त रूप से खोला जायेगा, जिसका संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा आवश्यकतानुसार अन्य सहखातेदार ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

9. ट्रस्ट के अभिलेख

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:–

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक

Scanned with CamScanner

अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व० नन्दकिशोर सिंह
गाठ+पो० - महे चौरा, भटनी, देवरिया

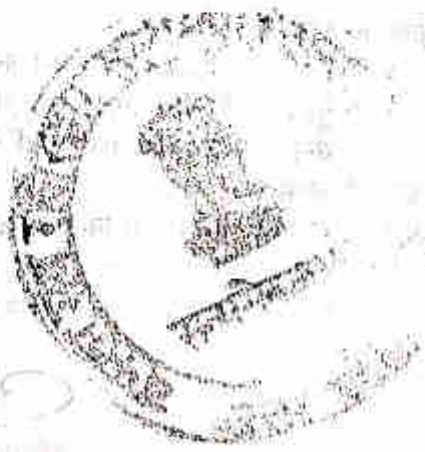

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 995125

माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे ट्रस्ट मण्डल निर्धारित करे, अधिकृत होंगे।

2. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण व विक्रय के लिये नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।
4. ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी ।
6. ट्रस्ट के लेखापरीक्षण हेतु मुख्यट्रस्टी द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।
7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति के साथ ही साथ ट्रस्टमण्डल ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

Scanned with CamScanner

पुष्टि विलेख 52

नं 3101

आवेदन सं०: 202009...

अजीत कुमार सिंह पुत्र श्री नन्द किशोर सिंह
ग्राम+पो०-- भरहे चौरा, भटनी, देवरिया

न्यासपत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 34 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

श्री अजीत कुमार सिंह ,
पुत्र श्री नन्द किशोर सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम+पोस्ट भरहे चौरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 19/09/2020 एवं 01:11:11 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह
उप निबंधक सलेमपुर
देवरिया
19/09/2020

शैलेन्द्र शाही लिपिक
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

BY 995126

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होंगी।

11. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे–

a. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

b. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

c. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

d. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

e. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

f. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

g. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

आवेदन सं०: 2020 0962003657

अजीत कुमार सिंह पुत्र स्व० नन्द किशोर सिंह
ग्राम + पो० - भरहे चौरा, भटनी, देवरिया

रजिस्ट्रेशन स०: 34 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री अजीत कुमार सिंह, पुत्र श्री नन्द किशोर सिंह
निवासी: सा०+पोस्ट भरहे चौरा

व्यवसाय: कृषि

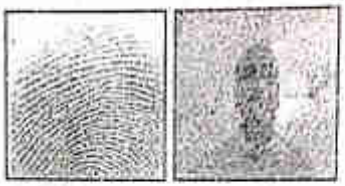

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गौतम सिंह , पुत्र श्री हरिवंश सिंह
निवासी: सा०+पोस्ट भरहे चौरा

व्यवसाय: कृषि

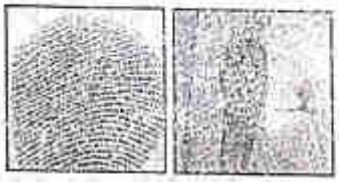

पहचानकर्ता : 2

श्री हरेराम तिवारी , पुत्र श्री रघुनाथ तिवारी
निवासी: सा०+पोस्ट भरहे चौरा

व्यवसाय: कृषि हरेराम तिवारी

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह
उप निबंधक : सलेमपुर
देवरिया

शैलेन्द्र शाही लिपिक
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 995127

h. उक्त शर्तों में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

घोषणा

"सिद्धेश्वर समाज सेवा ट्रस्ट" की तरफ से हम **अजीत कुमार सिंह** मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करता हूं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके। यह भी घोषणा करता हूँ कि वर्तमान में इस विलेख में लिखित धनराशि मुबलिग 10,000.00 रुपया (दस हजार रूपया) के अतिरिक्त अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर साक्षीगण:

1. मोहन सिंह पुत्र स्व. हरिकेश सिंह
ग्राम पोस्ट - भरहे चौरा - देवरिया

2. सुरेश राम तिवारी पुत्र स्व.
रघुनाथ तिवारी ग्राम पोस्ट भरहे चौरा
जिला देवरिया

प्रारूपकर्ता
सुनील कुमार श्रीवास्तव एड.
सलेमपुर

दिनांक: 15/05/2020

Scanned with CamScanner

आवेदन सं०: 202000[illegible]3657

अजीत कुमार सिंह पुत्र विनोद किशोर सिंह ... चौरा, भटनी, देवरिया (उ०प्र०)

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 42 के पृष्ठ 61 से 98 तक क्रमांक 34 पर दिनांक 19/09/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह
उप निबंधक : सलेमपुर
देवरिया
19/09/2020

Scanned with CamScanner